झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–94 वर्ष 2020

चीना अंसारी उर्फ चाइना अंसारी उर्फ मो0 दिलावर अंसारी
अपने प्राकृतिक संरक्षक जुकरून बीबी (माँ) के माध्यम से .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री सब्यसांची, अधिवक्ता।

राज्य के लिए:– श्री प्रभु दयाल अग्रवाल, विशेष पी0पी0।

3 / 05.03.2020 याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान विशेष पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता एक किशोर है, जो ई0एन0 सं0–26 / 2019 (जी0आर0 सं0 264 / 2019) के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341 / 376डीए / 323 / 118 / 205 / 499 / 500 / 504 / 506 / 34 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत दण्डनीय अपराध करने के लिए हिरासत में हैं।

याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्त्ता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध के लिए मुकदमें का सामना कर रहा है, लेकिन

उसका नाम पीड़ित द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज बयान में नहीं लिया गया है। उन्होनें कहा कि इसी तरह के स्थिति में सह–आरोपी को बी0ए0 11723/19 और 11578/19 इस अदालत के समकक्ष बेंच द्वारा जमानत दी गई है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैं इस आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन को अनुज्ञात करने के लिए इच्छुक हूँ। आपराधिक अपील सं0–68/2019 में सत्र न्यायाधीश, साहिबगंज द्वारा दिनांक 14.01.2020 को पारित आदेश को एतद् द्वारा अपास्त किया जाताहै। याचिकाकर्त्ता, अर्थात् चीना अंसारी उर्फ चाइना अंसारी उर्फ मो0 दिलावर अंसारी को ई0एन0 सं0–26/2019 (जी0आर0 संख्या 264/2019) के संबंध में प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, साहिबगंज के संतुष्टि के प्रति समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000/– (दस हजार रूपये) की जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, इस शर्त के अधीन है कि जमानतदारों में से एक याचिकाकर्त्ता की माँ होनी चाहिए, जो इस आशय का वचन देगी कि वह याचिकाकर्त्ता का उचित पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन और अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करेगी और याचिकाकर्त्ता को प्रोबेशन अधिकारी और बोर्ड के समक्ष पेश करेगी, जब भी बुलाया जाएगा। यदि सामाजिक जांच रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी पाई जाती है, तो बोर्ड न्याय के हित में आवश्यक आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है।

यह पुनरीक्षण आवेदन, तद्नुसार, अनुज्ञात किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)